"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 मार्च 2013—फाल्गुन 20, शक 1934

### पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2013

### अधिसूचना

क्रमांक/पं.-166/पंग्राविवि/22/2012/248.—छत्तीसगढ़ पंचायत (सामग्री तथा माल का क्रय) नियम, 2013 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सचिवालय (कक्ष कमांक एसओ 41), महानदी भवन, कैपिटल कॉम्पलेक्स, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

## नियम प्रारूप

1. **संक्षिप्त नाम.**– ये नियम छत्तीसगढ़ पंचायत (सामग्री तथा माल का कय) नियम, 2013 कहलायेंगे।

2. **परिभाषाएं.**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994);

(ख) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से अभिप्रेत है यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(ग) "छत्तीसगढ़ भंडार कय नियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य में लागू तथा यथा संशोधित छत्तीसगढ़ भंडार कय नियम, 2003;

(घ) "कलेक्टर" से अभिप्रेत है राजस्व जिले का कलेक्टर;

(ङ) "कार्यपालन अभियंता" से अभिप्रेत है ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का कार्यपालन अभियंता;

(च) "पंचायत" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत;

(छ) "सरपंच" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित ग्राम पंचायत का सरपंच;

(ज) "स्थायी समिति/सामान्य प्रशासन समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित, यथास्थिति, किसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की स्थायी समिति/सामान्य प्रशासन समिति;

(झ) "राज्य कय नियम" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा शासकीय संस्थानों में सामग्री तथा माल के कय के लिये बनाये गये नियम;

(ञ) "निविदा" से अभिप्रेत है माल या सामग्री प्रदायकर्ता से माल या सामग्री के कय हेतु दर (रेट) आमंत्रित करना।

3. **सामग्री तथा माल का कय.**– (1) पंचायत, निर्माण कार्यो के निष्पादन के लिये सामग्री तथा माल के कय से भिन्न सामग्री तथा माल का कय निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार कर सकेगी.–

(एक) ग्राम पंचायत के मामले में रूपये 2000/– तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के मामले में रूपये 5000/– की सीमा तक निविदाएं एवं भाव (कोटेशन) आमंत्रित किये बिना कय कर सकेगी।

(दो) ग्राम पंचायत के मामले में रूपये 2000/– से अधिक किन्तु रूपये 10,000/– से कम लागत और जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के मामले में रूपये 5000/–से अधिक किन्तु 50,000/– से कम लागत की सामग्री तथा माल कम से कम तीन विख्यात प्रतिष्ठानों (फर्म) से कोटेशन आमंत्रित कर प्रतियोगी दरों पर क्रय कर सकेगी।

(तीन) सामग्री तथा माल क्रय करने हेतु निविदा मूल्य (सामाग्रियों के कुल मूल्य) की अध्यपेक्षा का इस प्रकार विभाजन नहीं किया जाएगा कि वह नियम 3 के उप–नियम (1) के खण्ड (एक) या खण्ड (दो) के अधीन आ जाये।

(चार) ग्राम पंचायत के मामले में रूपये 10,000/– से अधिक लागत तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के मामले में रूपये 50,000/– से अधिक लागत की सामग्री तथा माल क्रय करने के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। प्रतिष्ठानों (फर्म) से पृथक–पृथक सामग्रीवार प्राप्त निविदाओं को आपूर्ति दर के बढ़ते मूल्य क्रम में निम्नानुसार सारणीबद्ध किया जायेगा:–

(क) ग्राम पंचायत के मामले में उसके सचिव के द्वारा;

(ख) जनपद पंचायत/जिला पंचायत के मामले में उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा। यह प्रक्रिया नियम 3 के उप–नियम (1) के खण्ड (दो) पर भी लागू होगा।

(पांच) नियम 3 के उप–नियम (1) के खण्ड (दो) एवं खण्ड (चार) में तैयार की गई सारणी के अनुसार विहित दर की संवीक्षा के लिये संयुक्त जवाबदेही निम्नानुसार नियत की जायेगी:–

(क) ग्राम पचायत के मामले में सचिव (पचायत) एव ग्राम पचायतों के समूह (जिसमें कि वह ग्राम पंचायत शामिल है) का सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी;

(ख) जनपद पंचायत/जिला पंचायत के मामले में उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं लेखा शाखा का प्रभारी अधिकारी (सहायक लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी)।

(छः) उप–खण्ड (पांच) के अधीन उपबंधित संवीक्षा के पश्चात्, यह सारणी संबंधित पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष उसके सचिव द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

(सात) सामान्य प्रशासन समिति, उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय सीमाओं के अनुसार, जिला स्तरीय तकनीकी अधिकारियों के परामर्श से आवश्यक मशीनों/उपकरणों जैसे

फोटोकॉपियर, कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, एल.सी.डी., प्रोजेक्टर आदि कय करने की अनुमति देगी।

(आठ) आपूर्ति (प्रदाय) की जाने वाली सामग्री के मूल्य का दो प्रतिशत अंतरिम राशि, निविदा प्रस्तुत करने वाली प्रतिष्ठानों द्वारा संबंधित पंचायत के पक्ष में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अनिवार्य रूप से देय होगा।

(2) ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यो हेतु आवश्यक सामग्री कय करने के लिये निम्नलिखित प्रकिया का पालन किया जायेगा:-

(एक) कलेक्टर, अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक जनपद पंचायत के लिये निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु प्रत्येक छः माह में (जनवरी-जुलाई माह) में निविदाएं आमंत्रित करेगा, विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्रियों की प्राप्ति के प्रयोजन के लिये न्यूनतम दर का निर्धारण किया जायेगा, जो आगामी 6 माह के लिये प्रभावशील होगी।

(दो) सामग्री की मात्रा का निर्धारण पिछले 6 माह के भीतर उस जनपद पंचायत के प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपयोग की गई सामग्री में 10% जोड़कर किया जायेगा।

(तीन) सामग्री की मात्रा के आधार पर, अनुमानित व्यय की 1% राशि, प्रत्येक स्थापना/सामग्री प्रदायकर्ता/निर्माता/विक्रेता, जिनका पंजीयन छत्तीसगढ़ वाणिज्यिकर विभाग में हो तथा जो निविदाएं प्रस्तुत करते हों, से निविदाएं प्राप्त करते समय अमानत राशि के रूप में जमा की जायेगी।

(चार) इस प्रकार प्राप्त दरों का विश्लेषण करने के पश्चात् उसे जिला स्तरीय कय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये जिला स्तरीय क्रय समिति का गठन किया जायेगा तथा इसके सदस्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात्:-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | कलेक्टर अथवा उसके द्वारा नामांकित अधिकारी जो अपर कलेक्टर की श्रेणी से निम्न का न हो | -अध्यक्ष |
| (ख) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | -सदस्य |
| (ग) | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र | -सदस्य |
| (घ) | जिला खनिज अधिकारी | -सदस्य |
| (ङ) | लेखाधिकारी जिला पंचायत/लेखाधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/अतिरिक्त या उपकोषालय अधिकारी | -सदस्य |
| (च) | कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा | -सदस्य-सचिव |

कलेक्टर अपने स्वविवेक से उपरोक्त उल्लिखित क्रय समिति में अतिरिक्त सदस्य नामांकित कर सकेंगे।

(पांच) जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा प्राप्त दरों के विश्लेषण के आधार पर प्रत्येक जनपद के लिये पृथक–पृथक सामग्री के लिये पृथक–पृथक न्यूनतम दरें स्वीकृत की जायेंगी। तदुपरांत, समस्त प्रदायकर्ताओं को अपनी–अपनी जनपद पंचायत में उक्त सामग्री के न्यूनतम दरों पर आपूर्ति पर सहमति हेतु अवसर दिया जायेगा। ऐसे प्रदायकर्ता जो न्यूनतम दर पर आपूर्ति हेतु सहमत हों, उन्हें उनके द्वारा निविदत्त न्यूनतम दर के बढ़ते कम में वरियता के आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा। दरें ऐसी रीति में आमंत्रित की जायेंगी कि प्रदायकर्ता, जनपद पंचायत की किसी भी ग्राम पंचायत में उस सामग्री को ग्राम पंचायत से आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर, आपूर्ति करेगा। दरें परिवहन व्यय शामिल कर होगी। अनुबंध के प्रयोजन के लिये, समस्त सामग्री प्रदायकर्त्ताओं को इस निर्देश के साथ पत्र जारी किया जायेगा कि जो भी सामग्री प्रदाय हेतु इच्छुक हो, वह समस्त निविदाकारों के द्वारा न्यूनतम दर पर ऐसी सामग्री की लागत का सहमति प्राप्त कर, प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा दर्शाते हुए तथा इसके साथ ऐसे सामग्री, जो उसके द्वारा प्रदाय की जानी है, की अनुमानित मात्रा दर्शाते हुए तथा ऐसे सामग्री की लागत का 1 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी/एफ.डी. जमा करते हुए, जनपद पंचायत के साथ अनुबंध निष्पादित करेगा। विहित प्रारूप में अनुबंध करने के पश्चात् प्रदायकर्ता प्रतिष्ठानों की वरीयता सूची, संबंधित जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत को सामग्री के क्रय के लिये भेजी जायेगी।

(छः) जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा स्वीकृत एवं अनुबंधित दरों पर सूचीबद्ध प्रदायकर्ताओं/प्रतिष्ठानों/सामग्री निर्माताओं/विक्रेताओं जिनका वाणिज्यकर विभाग छत्तीसगढ़ में पंजीयन हो, से सीधे ग्राम पंचायत द्वारा, कय आदेश जारी कर, सामग्री की कय/आपूर्ति प्राप्त की जा सकेगी।

(सात) ग्राम पंचायत, अपनी आवश्यकता के अनुसार, विहित प्रतिष्ठानों को कय/आपूर्ति हेतु आदेश आगामी छः माह के लिये दे सकेगी। यदि 15 दिवस के भीतर विहित दर पर सामग्री प्रदाय नहीं करता है तो संबंधित पंचायत किसी अन्य सूचीबद्ध प्रदायकर्ता को कय/आपूर्ति हेतु आदेश दे सकेगी।

(आठ) यदि संबंधित अनुबंधकर्त्ता 15 दिवस के भीतर विहित दर पर सामग्री प्रदाय नहीं करता है तो संबंधित पंचायत किसी अन्य अनुबंधित प्रदायकर्ता को आदेश दे सकेगी। यदि सामग्री प्रदायकर्त्ता विहित अवधि में सामग्री का प्रदाय करने में विफल रहता है तो उसकी सूचना, कलेक्टर/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत को दी

जायेगी। कलेक्टर/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा संवीक्षा करने के पश्चात्, ऐसे सामग्री प्रदायकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि राजसात् की जा सकेगी तथा उन्हें भविष्य के पांच वर्षो के लिए लिये सामग्री प्रदाय से प्रतिबंधित किया जायेगा।

4. **न्यूनतम निविदा स्वीकार किया जाना.–** साधारणतः न्यूनतम निविदा स्वीकृत की जायेगी। जहां विधिमान्य कारणों से, न्यूनतम निविदा स्वीकार करना अवांछनीय समझा जाये, तो उसके कारणों को स्पष्टतः अभिलिखित किया जायेगा तथा लेखा परीक्षा के प्रयोजनों से उपलब्ध कराया जायेगा।

**टीप.–** जहां न्यूनतम निविदा एक से अधिक वस्तुओं के संबंध में हो, उदाहरणार्थ लेखन संबंधी वस्तुओं के लिए, सभी वस्तुओं या वस्तुओं के विनिर्दिष्ट समूहों के लिए या तो प्रत्येक वस्तु के लिए अलग–अलग या संयुक्त रूप से, निविदत्त तुलनात्मक मूल्य पर विचार किया जा सकेगा, परन्तु इन रीतियों में से किन्हीं रीति में न्यूनतम निविदा स्वीकार करने का पंचायत का आशय निविदा सूचना में स्पष्ट किया जाना चाहिये। यदि निविदा पर, यथास्थिति, सभी वस्तुओं या प्रत्येक समूहों की सभी वस्तुओं का मूल्य, सभी वस्तुओं या वस्तुओं के समूह के लिये संयुक्त रूप से विचार किया जाता है, तो प्रत्येक निविदा में दी गई दरों के संदर्भ में निकाला जायेगा तथा न्यूनतम निविदा वह होगी जिसके अनुसार ली जाने वाली प्रस्तावित सभी वस्तुओं की संभाव्य आवश्यकताओं का कुल मूल्य न्यूनतम आता हो।

5. **उच्चतर निविदा का स्वीकार किया जाना.–** जहां न्यूनतम निविदा अस्वीकार कर दिया जाता है, वहां जब तक उस न्यूनतम निविदा को अस्वीकार करने के पर्याप्त कारण अभिलिखित नहीं किये जाते, तब तक आगामी उच्चतर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

6. **दरें.–** कोई निविदा, किसी भी मामले में, उस निविदा में विनिर्दिष्ट दरों से भिन्न दरों पर स्वीकार नहीं की जायेगी।

7. **निविदाओं का निपटारा करने में अपरिहार्य विलंब नहीं करना.–** निविदा खोले जाने के पश्चात् उसके (निविदा के) निपटारे में अपरिहार्य विलंब नहीं किया जायेगा।

8. **निविदाएं आमंत्रित करने की रीति.–**

(1) निविदाएं (जो सीलबंद लिफाफे में होगी), ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच द्वारा तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अत्यन्त खुले तथा सार्वजनिक तौर पर अनिवार्यतः निम्नानुसार आमंत्रित की जाएगी:–

(क) ऐसे समस्त मामलों में, पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जिसे वह उचित समझे, हिन्दी में एक सूचना चस्पा कर;

(ख) जहां पूर्वानुमानित लागत, रूपये 25,000/– से अधिक हो वहां जिले में प्रचलित कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा;

(ग) जहां पूर्वानुमानित लागत, रूपये 50,000/– से अधिक हो वहां राज्य में प्रचलित कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन प्रकाशित प्रत्येक सूचना या विज्ञापन में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित का विवरण होगाः–

(क) शर्ते जिनके अंतर्गत वह अधिकारी जिससे, और वह मूल्य, यदि कोई हो, जिस पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मात्राओं की अनुसूची की प्रति प्राप्त की जा सकेगी, यदि, वे बातें, सूचना या विज्ञापन में ब्यौरेवार वर्णित न की जा सकती हो;

(ख) निर्धारित प्रारूप जिसमें निविदा प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात क्या विभिन्न वस्तुओं के मूल्य दिए जाने है तथा क्या वस्तुओं की मात्रा संबंधी अनुसूची में वर्णित प्रत्येक वस्तु के संदर्भ में या संयुक्त रूप से ऐसे समस्त वस्तुओं के लिए या ऐसे वस्तुओं के समूह के लिए निविदा के तुलनात्मक मूल्य का परीक्षण किया जाएगा;

(ग) निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए समय और स्थान हेतु पंचायत के कार्यालय में सूचना प्रकाशित किये जाने की तारीख से या उप–नियम (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन आने वाले मामलों में, समाचार–पत्र में विज्ञापन प्रथम बार प्रकाशित होने की तारीख से कम से कम 10 दिनों की कालावधि अनुज्ञात की जाएगी;

(घ) निविदाएं खोले जाने का समय तथा स्थान;

(ड.) अमानत धनराशि, जो निविदा के साथ होनी चाहिए और प्रतिभूति की राशि और स्वरूप, जो निविदा स्वीकार कर ली जाने की दशा में अपेक्षित होगी। प्रतिभूमि की राशि, सामग्री या माल के मूल्य के 8% से कम नहीं होगी;

(च) निविदा स्वीकार करने के लिए सक्षम अधिकारी;

(छ) निविदाओं को स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, कोई भी कारण समनुदेशित किए बिना, कोई भी या समस्त निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है; और

(ज) ऐसा निविदाकार, जो विधिमान्य कारण के बिना (जिसका निविदा स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जायेगा) अपनी निविदा वापस लेता है, तो अपनी पश्चातवर्ती निविदाएं संक्षिप्त रूप से अस्वीकार किये जाने का दायी होगा तथा यदि पुनः मंगाये गये निविदा से पंचायत को कोई क्षति होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए ऐसा व्यक्ति उत्तरदायी होगा। हानि की राशि भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

9. **निविदा का पुनः मंगाना.–** यदि सफल निविदाकार, माल अथवा सामग्री का नियत समय सीमा में प्रदाय करने में युक्तियुक्त कारणों के बिना विफल रहता है, तो ऐसी निविदा निरस्त कर दी जाएगी

तथा इन नियमों के अधीन उपबंधित रीति में उस व्यक्ति के जोखिम पर, जिसकी निविदा पूर्व में स्वीकृत की गई थी, नई निविदा मंगायी जाएगी। यदि पुनः निविदा मंगाने से, पंचायत को कोई हानि होती है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी हानि तथा पुनः निविदा मंगाने में हुए व्यय की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। प्रतिभूति राशि से समायोजन के पश्चात्, यदि कोई अवशेष हो, तो यह राशि भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

10. **अमानत धन तथा प्रतिभूति धन की वापसी.**– (1) असफल निविदाकारों द्वारा जमा की गई अमानत धन निविदा स्वीकृति के पश्चात् तत्काल वापसी योग्य होगी।

(2) सफल निविदाकार की अमानत धन तथा प्रतिभूति राशि यथासमय अनुबंध अनुसार सामग्री प्रदाय करने के पश्चात् वापस की जा सकेगी।

11. **कय जिसके लिए ये नियम लागू नहीं होंगे.**– इन नियमों में अन्तर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित के क्रय पर लागू नहीं होगी:–

(एक) डीजीएस एवं डी के माध्यम से क्रय की गई वस्तुओं (सामग्री एवं माल) पर;

(दो) राज्य सरकार के निगम, बोर्ड या उपक्रम जो ऐसी वस्तुओं का प्रदाय करने के लिए सक्षम है, के माध्यम से कय की गई वस्तुओं पर;

(तीन) केन्द्र या छत्तीसगढ़ राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से पंजीकृत कार्यकारी संस्थान, जो ऐसी वस्तुओं का प्रदाय करने के लिए अधिकृत हो, के माध्यम से कय की गई वस्तुओं पर;

(चार) जेल से क्रय की गई वस्तुओं पर;

(पांच) चिकित्सा स्टोर विभाग के माध्यम से कय की गई औषधियों पर;

(छः) ऐसी अन्य संस्थाएं, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, से कय की गई वस्तुओं पर।

12. **सामग्री की प्राप्ति.**– माल तथा सामग्री प्राप्त होने पर, उसकी समुचित रूप से यथास्थिति, जांच की जाएगी तथा गणना, माप या तौल किया जाएगा और प्राप्तिकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं का समाधान कर ले कि प्रदाय की गई सामग्री नमूने के अनुसार सही मानक तथा गुणवत्ता की है।

13. **निरसन.**– इन नियमों के राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से, छत्तीसगढ़ पंचायत (सामग्री तथा माल का क्रय) नियम, 1999 एतद्द्वारा निरसित माने जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रीता शांडिल्य**, उप–सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2013

क्रमांक/पं.–166/पंग्राविवि/22/2013/249.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं.–166/पंग्राविवि./22/2012/248, दिनांक 11–03–2013 से संबंधित अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, उप–सचिव.

Raipur, the 11th March 2013

NOTIFICATION

No./P-166/PGVV/22/2012/248.—The following draft of the Chhattisgarh Panchayat (Purchase of Material and Goods) Rules, 2013, which the State Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 95 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam 1993 (No. 1 of 1994), is hereby, published as required under sub- section (3) of Section 95 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of seven days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours, by the office of the Deputy Secretary, Chhattisgarh Government Panchayat and Rural Development Department at Secretariat, (Room No. SO 41) Mahanadi Bhawan, Capitol Complex, Mantralaya, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT RULES

1. **Short Title.** - These rules may be called the Chhattisgarh Panchayat (Purchase of Material and Goods) Rules, 2013.

2. **Definitions** .- In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Act" means the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);

   (b) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of Zila Panchayat or Janpad Panchayat, as the case may be;

(c) "Chhattisgarh store purchase rules" means the Chhattisgarh store purchase rules 2003 as amended and applicable in Chhattisgarh state;

(d) "Collector" means the collector of revenue district;

(e) "Executive Engineer" means the executive engineer of rural engineering service;

(f) "Panchayat" means the Gram Panchayat, Janpad Panchayat or Zila Panchayat as the case may be, constituted under the Act;

(g) "Sarpanch" means Sarpanch of the Gram Panchayat constituted under the Act;

(h) "Standing Committee/General Administration Committee" means the Standing Committee/General Administration Committee of the Gram Panchayat, Janpad Panchayat or Zila Panchayat, as the case may be, constituted under the provisions of the Act;

(i) "State purchase rules" means the rules made by the State Government for purchase of materials and goods in the Government Institutions;

(j) "Tender" means Inviting rates of goods or material from supplier for purchasing goods or material.

3. **Purchase of material and goods.-** (1) For purchase of material and goods, other than those for the execution of works, the Panchayat may purchase material and goods according to following procedure.-

(i) In case of Gram Panchayat Rs. 2000/- and in case of Janpad Panchayat and Zila Panchayat upto the limit of Rs. 5000/- may be purchased without calling of tenders or quotations.

(ii) In case of Gram Panchayat material and goods, costing more than Rs. 2000/- but less than Rs. 10,000/- and in case of Janpad Panchayat and Zila Panchayat, costing more than Rs. 5000/- but less than Rs. 50,000/- , may be purchased, at the competitive rates by inviting quotations at least from three reputed firms.

(iii) For purchasing material and goods, tender value (Total value of materials) requisition shall not be split up, so as to bring them under clause (i) or clause (ii) of sub-rule (1) of Rule 3.

(iv) In case of Gram Panchayat material and goods, costing more than Rs. 10,000/- and in case of Janpad Panchayat and Zila Panchayat, costing more than Rs. 50,000/-, it will be compulsory to invite open tenders. Tenders obtained separately material-wise from firms shall be tabulated in ascending order of supply rate as follows:-

(a) In case of Gram Panchayat by his Secretary;

(b) In case of Janpad Panchayat/Zila Panchayat by his Chief Executive Officer. This process shall also be applicable to clause (ii) of sub-rule (1) of Rule 3.

(v) For scrutiny of the prescribed rate the joint responsibility shall be fixed, as per the prepared table in clause (ii) and clause (iv) of sub- rule (1) of Rule 3, as follows:-

(a) In case of Gram Panchayat, Secretary (Panchayat) and the group of Gram Panchayats (In which that Gram Panchayat is included) Assistant Internal Account Audit and Taxation Officer;

(b) In case of Janpad Panchayat/Zila Panchayat it's Chief Executive Officer and Official In-charge of Account Section (Assistant Accounts officer/Accounts officer).

(vi) After provisioned scrutiny under sub-clause (5), this tabulation shall be produced in front of the concerned Panchayat General Administration Committee by his Secretary.

(vii) As per the above mentioned financial limits, the General Administration Committee shall permit purchase of necessary machines/equipments, like photocopier, computer, scanner, printer, LCD, projector etc. in consultation with District Level Technical Officers.

(viii) The interim amount of 2 percent value of supply material shall be paid compulsorily by the crossed bank draft in favour of the concerned Panchayat.

(2) Following procedure shall be followed for purchase of necessary construction materials for Gram Panchayats:-

(i) Collector for every Janpad Panchayat under his jurisdiction shall determine the minimum price for different kind of construction material by inviting tenders in every 6 months (month of January – July), for the purpose of procurement of construction material, which shall be effective for next 6 months.

(ii) Quantity of material shall be determined by adding 10 percent in material utilized in every Gram Panchayat work of such Janpad Panchayat within last 6 months.

(iii) On the basis of quantity of material, (1%) price of appropriate expenditure shall be deposited at the time of taking tenders in the form of earnest money from every establishment/ provider of material/ constructor/

seller, who are registered with Chhattisgarh Sales Tax Department and who are submitting tenders.

(iv) Rates realized after scrutiny laid before District Level Purchasing Committee. For this purpose District Level Purchasing Committee shall be constituted and following shall be its member, namely:-

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Collector or Officer nominated by him, who shall not be below the rank of Additional Collector | - President |
| (b) | Chief Executive Officer, Zila Panchayat | - Member |
| (c) | General Manager District Industries Officer | - Member |
| (d) | District Mining officer | - Member |
| (e) | Accounts Officer Zila Panchayat/ Account officer Rural Engineering Service./ Additional or Sub-treasury Officer. | - Member |
| (f) | Executive Engineer Rural Engineering Service | - Member Secretary |

Collector on his own discretion may nominate additional member in the above mentioned purchased Committee.

(v) On the basis of analysis of the rates received by the District Level Purchase Committee separate minimum rates shall be permitted for separate materials to every Janpad Panchayat. Thereafter, all the suppliers shall be given opportunity for consent on supply of said material at minimum rates in their respective Janpad Panchayat Those suppliers who agree to supply at minimum rates, shall be listed by in ascending order of minimum rate tendered by them. The rate shall be called in such manner that supplier shall have to supply the material to any Gram Panchayat of the Janpad Panchayat, within 15 days of receiving the order from Gram Panchayat. The rates shall be inclusive of transportation charges. For the purpose of agreement, letters shall be issued to all material suppliers with direction that whoever interested to supply material, he shall show the quantity of material to be supplied, after approval of the cost of such material by all tenderers, who have obtained approval at minimum price and along with this he shall show estimated quantity of material which is to be supplied by him and by submitting bank guarantee /F.D. of 1 percent price of cost of such material shall enter into agreement with such Janpad Panchayat. After agreement in

prescribed format, a priority list of supplier firms shall be sent to the concerned Janpad Panchayat and Gram Panchayat for the purchase of material.

(vi) Gram Panchayat may, by issuing purchase order, directly purchase/supply material from the suppliers/firms/producers of materials/seller, whose registration is in Sales Tax Department of Chhattisgarh, listed on the rate sanctioned and agreed by the District Level Purchase Committee.

(vii) Gram Panchayat may as per its requirement give orders to prescribed firms, for purchase of supply in next 6 months. In case material is not supplied within 15 days at prescribed rates, then concerned Panchayat may order for purchase/ supply to any other listed suppliers.

(viii) If concerned contractor does not supply the material within 15 days, at prescribed rate, then concerned Panchayat may order to any contractual supplier. When the supplier of the material fails to supply the material in prescribed period, information thereto shall be given to Collector / Chief Executive Officer, Zila Panchayat. After scrutinization by the Collector / Chief Executive Officer, Zila Panchayat, the amount deposited by such supplier of materials may be forfeited and they shall be restricted from supply of materials, for 5 years in future.

4. **Lowest tender to be accepted. -** The lowest tender shall ordinarily be accepted. Where for valid reason it is considered undesirable to accept the lowest tender, reasons therefore shall be clearly recorded and made available for purposes of audit.

**NOTE.-** Where the lowest tender is in respect of more than one article, for example, stationery articles, the comparative prices tendered may be considered, either individually for each article or conjointly for all the articles or for specified group of articles, provided that the intention of Panchayat to accept the lowest in any one of the ways is made clear in the tender notice. If the tender is considered conjointly for all the articles or for group of articles the cost of all articles or of all the articles in each group, as the case may be, shall be worked out with reference to the rates given in each tender and the lowest tender will be according to which the total cost of the probable requirements of all articles proposed to be taken together works ought be the lowest.

5. **Acceptance of higher tender. -** Where the lowest tender is rejected, the next higher tender shall be accepted, unless adequate reasons are recorded for rejecting the lowest tender.

6. **Rates.-** A tender shall, in no case, be accepted at rates other than those specified in that tender.

7. **No avoidable delay in disposal of tender .-** There shall be no avoidable delay in the disposal of tenders after they are opened.

8. **Manner of inviting tenders .-**

(1) The tenders (in sealed covers) shall be invited, in case of Gram Panchayat by the Sarpanch and in case of Janpad Panchayat and Zila Panchayat by the Chief Executive Officer in the most open and public manner invariably as under ;-

(a) In all cases by, a notice in Hindi pasted at the notice board of the office of the Panchayat and at such other places as it may deem fit;

(b) By advertisement in atleast one daily newspaper circulating in the district where previous estimated cost is more than Rs. 25,000/-;

(c) By advertisement in atleast two daily newspapers circulating in the State, where previous estimated cost is more than Rs. 50,000/-.

(2) Every notice or advertisement published under sub-rule (1) shall state interalia :-

(a) the conditions under which, the officer from whom, and the price, if any, for which a copy of the Schedule of quantities of the various kinds of articles can be obtained if, they cannot be mentioned in detail in the notice or advertisement itself;

(b) the precise form in which the tender shall be made, that is whether the prices for various articles are to be quoted and whether comparative value of the tender will be examined with reference to each article mentioned in the Schedule of quantities or for all such articles conjointly or for groups of such articles;

(c) the time and place for presenting the tenders allowing a period of at least 10 days from the date of publication of the notice at the office of the Panchayat or in case failing under clause (b) and (c) of sub-rule (1) from the appearance date of the first advertisement in the newspaper;

(d) the time and place for opening the tender;

(e) the amount of earnest money which should accompany the tender and the amount and nature of the security which will be required in case the tender is accepted. The security amount shall not be less than 8% of the cost of materials or goods;

(f) the authority competent to accept the tender;

(g) the authority competent to accept the tenders, reserves the right to reject any or all of the tenders received without assigning reasons; and ;

(h) a tenderer who withdraws his tender, without valid reasons (to be decided by authority competent to accept the tender) shall be liable to have his subsequent tenders summarily rejected and such person shall be liable for the compensation if Panchayat is put to less by recalling tenders. The amount of loss shall be recoverable as arrears of Land Revenue.

9. **Recall of the tender.-** If successful tenderer without reasonable cause fails to supply goods or material in the fixed time limit, such tender shall be cancelled and fresh tenders shall be recalled, in the manner provided under these rules, at the risk of the person whose tender was accepted earlier. If by recalling tenders, the Panchayat is put to any loss, such person shall be liable to compensate such loss and expenses for recalling of tender. After adjustment from the security amount, if there is any balance , it shall be recoverable as arrears of Land Revenue.

10. **Refund of earnest money and security money. -** (1) Earnest money deposited by unsuccessful tenderer shall be refunded immediately, after acceptance of the tenders.

(2) The earnest money and security amount of successful tender, may be returned, after timely supply as per samples.

11. **Purchase to which these rules shall not apply. -** Nothing contained in these rules shall apply to the purchase of;-

(i) (Material and goods) Articles purchased through the DG S & D ;

(ii) Such articles, through Corporation, Board or enterprises of the State Government which are competent to supply such articles;

(iii) Such articles, through dealing institute registered with the Central or the Chhattisgarh State Khadi and Gramodyog Board which are authorised to supply such articles;

(iv) Articles from jails;

(v) Medicines through Medical Store Department;

(vi) Articles from other such institutions /as notified by the State Government.

12. **Receipt of the material.-** On receipt of the material and goods, it shall be properly checked and be counted, measured or weighed, as the case may be, and it shall be the duty of the receiver to satisfy himself and to correct standard and quality of supplied material as per sample.

13. **Repeal.-** From the date of final publication of these rules in the Official Gazette, the Chhattisgarh Panchayat (Purchase of material and goods) Rules, 1999, shall stand repealed.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REETA SHANDILYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.